



यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)
(CIN: U 12000 JH 1967 GOI 000806)

डाकघर : जादुगोड़ा माईन्स, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-832102

सं ० : यूसिल/उप महाप्रबंधक(कार्मिक&ओ.सं.)/28/2024

दिनांक 31.01.2024

सूचना

विषय :- नान्दुप ग्राम के सन् 1984-85 में अधिग्रहित भूमि में विस्थापित हुए भू-विस्थापित सदस्य के नोमिनियों के लिए आवेदन आमंत्रित कीले के संबंध में।

तुरामडीह माईन्स में विस्थापित हुए भू-विस्थापित सदस्य को यूसिल प्रबंधन यूसिल के पुर्ववास एवं पुर्नस्थापन (R & R Policy) नीति के तहत यूसिल के कुछ रिक्तियों के आधार पर अकुशल वर्ग में नियुक्त हेतु विचार किया जा रहा है। तुरामडीह माईन्स में विस्थापित हुए भू-विस्थापित व्यक्ति की यूसिल में नियुक्त के संबंध में निम्नलिखित भू-विस्थापितों का यूसिल के पुर्ववास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। प्रबंधन की पुर्ववास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत पूर्णतः विस्थापितों के निम्नलिखित सदस्यों को ही नियोजन के लिए वैध माना जाएगा :-

1. एवार्डीज स्वयं
2. एवार्डीज के संतान अथवा पोता
3. एवार्डीज के पत्नी
4. एवार्डीज के बहु (पुत्र की पत्नी)
5. अंशधारकों के एवार्डी का पुत्र यदि नौकरी के लिए अनिच्छुक हो अथवा नौकरी के लिए अयोग्य होने की स्थिति में सीधे तौर पर उत्तराधिकारी दामाद अथवा पर-दामाद ही नियोजन के लिए मान्य होंगे।

विचे तालिका में दर्शाए गए भू-विस्थापितों के आवेदन पत्र यूसिल कि Official website www.uraniumcorp.in से अथवा प्रबंधन (कार्मिक), तुरामडीह के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र इस सूचना प्रकाशन तिथि के (30) तीस दिनों के अन्दर पूर्णतया भरें हुए आवेदन के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा प्रदान किया गया नोटिस एवं अन्य आवेदन में वर्णित कागजात इच्छुक उम्मीदवार निबंधित डाक से या स्वयं आकर प्रबंधक (कार्मिक), तुरामडीह माईन्स, पो. +थाना - सुन्दरनगर जिला - पूर्वी सिंहभूम, (झारखण्ड)-832107 के कार्यालय के पते पर अवश्य भेजे/जमा करें। संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान/मुखिया के द्वारा प्रमाणित आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। बिना उचित प्रपत्र में भरें गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार एक लिफाफे में एक आवेदन पत्र ही निबंधि डाक द्वारा भेजें। उपरोक्त तिथि के समय-सीमा समाप्त होने के उपरन्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	प्रमाण पत्र सं.	विस्थापितों का नाम जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रमाणित पंचाट प्रति के आधार पर	कुल रकवा (एकड़ में)	प्लॉट संख्या	टिप्पणी
1.	66/84/T	श्री पिंडु हो पिता सोखा हो	3.24	165,158,143,228, 240,203,204,208, 143/1212,149,157	यूसिल पुर्ववास एवं पुर्नस्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगा।

कृते यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
उप महाप्रबंधक (कार्मिक &ओ.सं.)

CBC 48134/12/0058/2324